राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांक :– आ.प्र.सहा. / बाढ / 2025–26 / 4406 दिनांक :– 7/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्रस्थापना हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4273 दिनांक 18.09.2025 द्वारा आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा चाहे जाने पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूस्थापना हेतु संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीपलू के 03 कार्य, टोडारायसिंह के 02 कार्य एवं मालपुरा के 10 कार्य, अतः क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों के कुल 15 कार्यो के प्रस्ताव आपदा प्रवन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को भिजवाये गये थे।

श्रीमान शासन उप सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 139 / 2025–26)एफ.8(14)आ.प्र.एवंसहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / राजकाज रेफरेन्स नं. 18124690 जयपुर, दिनांक 06.10.2025 द्वारा प्रस्ताव कार्यो में से खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीपलू के 03 कार्य हेतु राशि रूपये 6.00 लाख, टोडारायसिंह के 02 कार्य हेतु राशि रूपये 4.00 लाख एवं मालपुरा के 10 कार्य हेतु राशि रूपये 20.00 लाख, अतः **क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों के कुल 15 कार्य हेतु कुल राशि रूपये 30.00 लाख (अक्षरे तीस लाख मात्र)** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के प्रावधान अनुसार सशर्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

अतः बाढ़ से क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों के तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्रस्थापना कार्य हेतु **क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों के कुल 15 कार्य हेतु कुल राशि रूपये 30.00 लाख (अक्षरे तीस लाख मात्र)** की संलग्न सूची अनुसार इस कार्यालय द्वारा निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

1. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मापदण्डो का अक्षरशः पालना किया जावेगा।
2. कार्यकारी एजेन्सी स्वीकृत कार्यो को प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया जाना है। अतः संबंधित कार्यकारी एजेन्सी उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
4. कार्यकारी एजेन्सी / उपखण्ड स्तरीय समिति यह प्रमाण पत्र भिजवाये कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. के मद की राशि का उपयोग लिया जायेगा।
5. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
6. वे कार्य जो जो Defect Liability Period के तहत आते है, उनकी मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से देय नही है।
7. कार्यो की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां उपरान्त ही राशि का व्यय नियमानुसार किया जावे।
8. कार्यकारी एजेन्सी विभाग द्वारा इन कार्यो की तकनीकी स्वीकृति एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता विभाग द्वारा निर्धारित दर से गणना करते हुए तुरन्त जारी की जाकर इस कार्यालय को भेजी जावेगी। इसके पश्चात इस कार्यालय द्वारा बजट की ऑनलाईन डिमाण्ड की जावेगी। बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15 / 20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जानी है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.07 19:09:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18190444

अनुसार क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों के रेस्टोरेशन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जावें।

9. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

10. कार्यकारी एजेन्सी स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

11. एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार प्रस्ताव/कार्य एवं प्रस्तावित राशि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी विभाग की होगी।

12. विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावें।

13. स्वीकृत कार्यों का उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का भौतिक निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।
इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के निम्न बजट मद से किया जायेगा।
2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02– बाढ़, चक्रवात आदि।
107– खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना
(02)– (बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
[01]– [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)

14. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाए आमंत्रित कर कार्य कराये जा सकेगें।

15. कार्यकारी एजेन्सी तात्कालिक एवं मरम्मत कार्यों हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।

16. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत चिकित्सा भवनों के लिये ही किया जावें।

17. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन चिकित्सा भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन चिकित्सा भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।

18. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा एस.डी.आर.एफ. से कराये गये कार्यो का रिकॉर्ड संधारित करना होगा एवं निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराना होगा।

19. वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किये जावेगें। इस से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ कर लिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

20. उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा कार्यो का भौतिक निरीक्षण करने के उपरान्त एवं कार्य एस.डी.आर.एफ. मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावेगा। भुगतान से पूर्व उपखण्ड स्तरीय समिति की रिपोर्ट भिजवाई जावेगी। समिति यह सुनिश्चित करे कि कार्य SDRF नोर्म्स अनुसार कराये गये है।

21. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर कार्यकारी संस्था द्वारा प्रमाणित करवाई जावें। प्रस्तावित कार्यों में क्षति का मुख्य कारण बाढ/अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, अतः इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाये।

22. प्रस्तावित कार्यों में क्षति का मुख्य कारण बाढ/अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, अतः इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाये।

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.07 19:09:22 IST
Reason: Approved

23. आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयुपर की (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 139/2025–26)एफ.8(14)आ.प्र.एवंसहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज रेफरेन्स नं. 18124690 जयपुर, दिनांक 06.10.2025 तथा एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स परिपत्र दिनांक 10.10.2022, Modified vide letter No. 33-03/2020-NDM-I Dated 11.07.2023 के बिन्दु संख्या 11 के दिशा निर्देशों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों की पालना की जावेगी। पत्रों की प्रतियां संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

24. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

25. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावेगा। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

26. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।

27. समस्त कार्य बजट आवंटित किये गये वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किये जाने आवश्यक है। तात्कालिक रेस्टोरेशन के कार्यों से संबंधित देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान संबंधित विभाग एवं कार्यकारी एजेंसी द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मैदारी संबंधित विभाग एवं कार्यकारी एजेंसी की होगी।

28. कार्यों का भुगतान विभागीय पत्रांक 12199–231 दिनांक 03.10.2008 के अनुसार इस कार्यालय स्तर से प्राप्त बजट अनुसार कोष कार्यालय के मार्फत किया जावेगा।

29. **जिले के संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी** एवं संबंधित कार्यकारी एजेन्सी/विभाग द्वारा सहायता विभाग की उपरोक्त संलग्न प्रशासनिक स्वीकृति की पृष्ठांकित प्रति में दिये गये निर्देशो की पालना की जावें।

संलग्नः– सूची एवं पत्रों की प्रतियां।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
टोंक

क्रमांक :– आ.प्र.सहा./बाढ/2025–26/ 4407–13
दिनांक :– 7/10/25

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान शासन संयुक्त सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीपलू, टोडारायसिंह एवं मालपुरा।
6. उपखण्ड अधिकारी टोंक,निवाई, देवली, उनियारा, पीपलू, टोडारायसिंह एवं मालपुरा को भेजकर लेख है कि कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण स्वीकृति में अंकितानुसार समय–समय पर किया जाना सुनिश्चित करे।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलेक्टर/निजी सहायक, अति0 जिला कलेक्टर, टोंक।

जिला कलक्टर,
टोंक

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.07 19:09:22 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः– एफ.8(14)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 139/2025–26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **टोंक** को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. **विद्यालय भवनों हेतुः–**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **विद्यालय भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **टोंक** से प्राप्त प्रस्ताव कमांक 4273 दिनांक 18.08.2025 के आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, ब्लॉक देवली के 150 कार्यो हेतु राशि रूपयें 300.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, ब्लॉक टोडारायसिंह के 07 कार्यो हेतु राशि रूपयें 14.00 लाख एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, ब्लॉक उनियारा के 68 कार्यो हेतु राशि रूपयें 136.00 लाख **कुल 225 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 450.00 लाख (अक्षरे रूपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

2. **चिकित्सा भवनों हेतुः–**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **चिकित्सा भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **टोंक** से प्राप्त प्रस्ताव कमांक 4273 दिनांक 18.08.2025 के आधार पर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीपलू के 03 कार्यो हेतु राशि रूपयें 6.00 लाख, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक टोडारायसिंह के 02 कार्यो हेतु राशि रूपयें 4.00 लाख एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक मालपुरा के 10 कार्यो हेतु राशि रूपयें 20.00 लाख **कुल 15 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 30.00 लाख (अक्षरे रूपये तीस लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

3. **आंगनबाडी भवन**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **आंगनबाडी भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **टोंक** से प्राप्त प्रस्ताव कमांक 4273 दिनांक 18.09.2025 के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, टोंक ग्रामीण (टोंक) के 93 कार्यो हेतु राशि रूपयें 232.50 लाख, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पीपलू के 23 कार्यो हेतु राशि रूपयें 57.50 लाख, बाल विकास परियोजना अधिकारी, निवाई के 14 कार्यो हेतु राशि रूपयें 35.00 लाख, बाल विकास परियोजना

RajKaj Ref No.:
18124690
eSign 1.0

अधिकारी, टोडारायसिंह के 30 कार्यो हेतु राशि रूपयें 75.00 लाख, बाल विकास परियोजना अधिकारी, देवली के 76 कार्यो हेतु राशि रूपयें 190.00 लाख एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उनियारा के 56 कार्यो हेतु राशि रूपयें 140.00 लाख **कुल 292 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 730.00 लाख (अक्षरे रूपये सात करोड़ तीस लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

4. पंचायत भवन

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **पंचायत भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **टोंक** से प्राप्त प्रस्ताव कमांक 17134979 दिनांक 12.08.2025 के आधार पर कार्यालय पंचायत समिति, ब्लॉक उनियारा के 21 कार्यो हेतु राशि रूपयें 52.50 लाख, कार्यालय पंचायत समिति, ब्लॉक पीपलू के 42 कार्यो हेतु राशि रूपयें 105.00 लाख एवं कार्यालय पंचायत समिति, ब्लॉक मालपुरा के 24 कार्यो हेतु राशि रूपयें 60.00 लाख **कुल 87 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 217.50 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड़ सत्रह लाख पचास हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

5. शर्ते:-

कुल 225 विद्यालय भवनों हेतु राशि रूपयें 450.00 लाख, कुल 15 चिकित्सा भवनों हेतु राशि रूपयें 30.00 लाख, कुल 292 आंगनबाडी भवनों हेतु राशि रूपयें 730.00 लाख एवं कुल 87 पंचायत भवनों हेतु राशि रूपयें 217.50 लाख कुल 619 कार्यो हेतु राशि रूपयें 1427.50 लाख (अक्षरे रूपये बाईस करोड तीस लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे कार्य जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी कमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगाः–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02– बाढ़, चक्रवात आदि।

107– खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)–(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)

[01]–[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशता)

12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमन्त्रित कर कार्य कराए जा सकेगे।
13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
14. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।
15. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।
16. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
17. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।
18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.:
18124690

eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, **टोंक** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीपलू के चिकित्सा भवन मरम्मत के प्रस्ताव के क्र.स. 04 से 17 तक अंकित कार्य में उप स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय हेतु मांग की गई है उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव में कुल 17 कार्य हेतु मांग की गई राशि रूपये 34.00 लाख के स्थान पर उक्त 14 कार्यो को कम करते हुए 03 कार्यो हेतु कुल राशि रूपये 6.00 लाख स्वीकृत किये गये है।

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टोडारायसिंह के चिकित्सा भवन मरम्मत के प्रस्ताव के क्र. स. 01 से 07 तक अंकित कार्य में उप स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय हेतु मांग की गई है उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव में कुल 09 कार्य हेतु मांग की गई राशि रूपये 18. 00 लाख के स्थान पर उक्त 07 कार्यो को कम करते हुए 02 कार्यो हेतु कुल राशि रूपये 4. 00 लाख स्वीकृत किये गये है।

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मालपुरा के चिकित्सा भवन मरम्मत के प्रस्ताव के क्र. स. 01 पर अंकित कार्य में उप स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय हेतु मांग की गई है उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव में कुल 11 कार्य हेतु मांग की गई राशि रूपये 22.00 लाख के स्थान पर उक्त 01 कार्यो को कम करते हुए 10 कार्यो हेतु कुल राशि रूपये 20.00 लाख स्वीकृत किये गयेहै।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, पीपलू के आंगनबाडी भवन मरम्मत के प्रस्तावों के क्रम संख्या 14 से 16 तक अंकित प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रस्ताव में कुल 26 कार्य हेतु मांग की गई राशि रूपये 65.00 लाख के स्थान पर उक्त 03 कार्यो को कम करते हुए 23 कार्यो हेतु कुल राशि रूपये 57.50 लाख स्वीकृत किये गये है।

कार्यालय पंचायत समिति ब्लॉक उनियारा के पंचायत भवन मरम्मत के प्रस्ताव के क्र.स. 15 से 17 राजकीय कार्यालय हेतु राशि की मांग की गयी है, जो एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत नही

है। अतः उक्त कार्यो एवं इनके लिए मांग की गयी राशि को कम करते हुए कुल 21 कार्य एवं इनके लिए मांग की गयी राशि 52.50 लाख स्वीकृ किये गये है।

कार्यालय पंचायत समिति ब्लॉक पीपलू के के पंचायत भवन मरम्मत के प्रस्ताव के क्र.स 01, 05, 36, 37, 41 के कार्य एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत नही है। अतः उक्त कार्यो एवं इनके लिए मांग की गयी राशि को कम करते हुए कुल 42 कार्य एवं इनके लिए मांग की गयी राशि 105.00 लाख स्वीकृति किये गये है।

8. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
9. कोष कार्यालय, टोंक।

शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.:
18124690

eSign 1.0

कार्यालय पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक

क्रमांकः—पसटो / निर्माण / 2025—26 / 894 दिनांकः— 17.10.2025

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
जिला टोंक

विषय : SDRF योजना अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके कार्यालय पत्रांक आप्रसा / बाढ / 2025—26 / 44406 दिनांक 07.10.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्रम में वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तत्काल मरम्मत हेतु जारी तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य का विवरण	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	प्रशासनिक स्वीकृति राशि लाखों में	तकनीकी स्वी. क्रमांक /दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि लाखों में	वर्षा की दिनांक	दिनांक को वर्षा एमएम में	कार्य करवाने वाले उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम एवं फोन नम्बर
1	सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र लाम्बाकंला	सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र लाम्बाकंला	लाम्बाकंला	लाम्बाकंला	टोडारायसिंह	2.00	176 / 17.10.2025	1.99	13.08.2025	166 mm	श्री रवि जांगिड 8906431814
2	सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र गणेती	सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र गणेती	गणेती	गणेती	टोडारायसिंह	2.00	175 / 17.10.2025	1.99	13.08.2025	166 mm	श्री रवि जांगिड 8906431814
					योग	4.00		3.98			

विकास अधिकारी
पंचायत समिति टोडारायसिंह

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय पंचायत समिति, पीपलू

Phone No. 01435-278351, E-mail :pspeeplu@gmail.com

दिनांकः– 29/10/2025

क्रमांकः पसपी/निर्माण/2025–26/1065

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदया,
जिला टोंक।

विषय :– चिकित्सा विभाग (एसडीआरएफ) की तकनीकी स्वीकृति व तकमीना भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– आपके पत्रांक 4423 दिनांक दिनांक 07.10.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत क्षतिगस्त चिकित्सालय की तकनीकी स्वीकृति व तकमीना श्रीमान् को सादर प्रेषित है, जो निम्नानुसार है।

क्र0स0	कार्य का नाम	ग्राम	पंचायत	तक0स्वी क्रमाक/दिनांक	श्रम (लाखों)	सामग्री (लाखों में)	कुल स्वी0 राशि (लाखों में)	वि0वि0
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नानेर	नानेर	नानेर	930/ 14.10.2025	-	2.00	2.00	
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पासरोटिया	पासरोटिया	पासरोटिया	931/ 14.10.2025	-	2.00	2.00	
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानोली	रानोली	रानोली	932/ 14.10.2025	-	2.00	2.00	

6.00 लाख

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, पीपलू
दिनांकः– 29/10/2025

क्रमांकः पसपी/निर्माण/2025–26/1066–1067
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।
2. रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, पीपलू

C:\nirman\nirman\rampal saini\jeetram\Nirman\NIRMAN 2.docxnirman

कार्यालय पंचायत समिति , मालपुरा (टोंक)

क्रमांक :- 6957 दिनांक : 17.10.25

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदया,

टोंक राज0

विषय :— बाढ / अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तकनीकी स्वीकृति भिजवाने बाबत ।

प्रसंग :— श्रीमान द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति कमांक आ.प्र.सहा. / बाढ / 2025—26 / 4406 दिनांक 07.10.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की पालना में निवेदन है कि श्रीमान द्वारा जारी बाढ / अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों (चिकित्सा भवन) जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों की तकनीकी स्वीकृति जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान को प्रेषित है।

संलग्न :— कार्यों की सूची एवं तकनीकी स्वीकृतियां मय तकमीना
कुल 10 कार्य

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, मालपुरा, टोंक

विकास अधिकारी
पंचायत समिति मालपुरा, टोंक

कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा टोंक राज0

अतिवृष्टी / बाढ मे क्षतिग्रस्त परिसम्पतितयों की जारी तकनीकी स्वीकृतियों की सूची

क्र.स.	ग्राम पंचायत	ग्राम	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति कमांक / दिनांक	तकनीकी स्वीकृति कमांक	दिनांक	राशि	विवि
							योग	
1	डिग्गी	डिग्गी	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत कार्य डिग्गी	4406/ 7-10-2025	263	17-10-2025	2.00	
2	लाम्बाहरिसिंह	लाम्बाहरिसिंह	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत कार्य लाम्बाहरिसिंह	4406/ 7-10-2025	253	16-10-2025	2.00	
3	पचेवर	पचेवर	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत कार्य पचेवर	4406/ 7-10-2025	268	17-10-2025	2.00	
4	नगर	नगर	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत कार्य नगर	4406/ 7-10-2025	235	16-10-2025	2.00	
5	टोरडी	टोरडी	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत कार्य टोरडी	4406/ 7-10-2025	250	16-10-2025	2.00	
6	सोडा	सोडा	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत कार्य सोडा	4406/ 7-10-2025	244	16-10-2025	2.00	
7	लावा	लावा	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत कार्य लावा	4406/ 7-10-2025	249	16-10-2025	2.00	
8	चांदसेन	चांदसेन	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत कार्य चांदसेन	4406/ 7-10-2025	252	16-10-2025	2.00	
9	कलमण्डा	कलमण्डा	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत कार्य कलमण्डा	4406/ 7-10-2025	267	17.10.2025	2.00	
10	झाडली	झाडली	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत कार्य झाडली	4406/ 7-10-2025	251	16-10-2025	2.00	

20.00 योग